प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 127/2007

आवेदक	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
अनावेदक क्रमांक 3	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, द्वारा मंडल प्रबंधक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर मंडल, राजीव प्लाजा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवादी क्रमांक 1	नफीस खान, पिता हाफिज खान, आयु 04 वर्ष (अप्राप्तवय), द्वारा
आवेदक	अपनी माता शम्सुन्निशा पत्नी हाफिज खान, आयु 30 वर्ष, निवासी- चांटीडीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर
प्रतिवादी क्रमांक 2	गोल्डी उर्फ़ अख्तर खान, पिता इदुखान,
अनावेदक क्रमांक 1	द्वारा निवासी- बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(पिकअप वैन का चालक)

प्रतिवादी क्रमांक 3	बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,
अनावेदक क्रमांक 2	जगदापारा नाला के पास, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर
	(पिकअप वैन का स्वामी)

सिविल पुनरीक्षण सं. 128 / 2007

आवेदक	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
अनावेदक क्र. 3	कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी,
	रायपुर, द्वारा मंडल प्रबंधक,बिलासपुर मंडल, राजीव प्लाज़ा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रतिवादी क्र. 1	श्रीमती शमशुनिसा, पत्नी हाफ़िज़ ख़ान,
आवेदिका	आयु 30 वर्ष, निवासी – चांटीडीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
प्रतिवादी क्रमांक 2	गोल्डी उर्फ अख्तर खान, पिता इदुखान,

अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निवासी- बलमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(पिकअप वैन का चालक)

प्रतिवादी क्रमांक 3 बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,

अनावेदक क्रमांक 2 जगदापारा नाला, मेलापारा, छातिदीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(**पिकअप वैन का स्वामी)**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सिविल पुनरीक्षण सं. 129 / 2007

आवेदक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अनावेदक क्रमांक. 3 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी,

रायपुर, द्वारा मंडल प्रबंधक,बिलासपुर डिवीजन, राजीव प्लाज़ा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी क्रमांक 1 समीर ख़ान, पिता: हाफ़िज़ ख़ान, आयु 08 वर्ष (अल्पवयस्क) अपनी माँ के माध्यम से–शमशुन्निशा, पत्नी हाफ़िज़ ख़ान, आयु 30 वर्ष,

निवासी – चांटीडीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिवादी क्रमांक 2 गोल्डी @ अख्तर खान, पिता इदुखान, द्वारा

अनावेदक क्रमांक 1 निवासी- बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर के माध्यम से

(पिकअप वैन का चालक)

प्रतिवादी क्रमांक 3 बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,

अनावेदक क्रमांक 2 जगदापारा नाला, मेलापारा, छातिदीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(**पिकअप वैन का स्वामी)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील(क्षतिपूर्ति) सं. 1097/2007

आवेदक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अनावेदक क्रमांक 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, प्रभागीय प्रबंधक के माध्यम से, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर डिवीजन, राजीव प्लाजा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी क्रमांक 1 महरुन निशा, पत्नी हामिद खान, आयु 44 वर्ष,

आवेदक	निवासी छतिदीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
प्रतिवादी क्रमांक 2	गोल्डी उर्फ अख्तर खान, पिता इदुखान,
अनावेदक क्रमांक 1	निवासी- बलमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर के माध्यम से **(पिकअप वैन का चालक)**
प्रतिवादी क्रमांक 3	बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,
अनावेदक क्रमांक 2	जगदापारा नाला के पास, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (**पिकअप वैन का स्वामी)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) सं. 1109 / 2007

आवेदक	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
अनावेदक क्रमांक 3	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, प्रभागीय प्रबंधक के माध्यम से, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर मंडल, राजीव प्लाजा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी क्रमांक 1 श्रीमती शहनाज पत्नी शेख इजराइल उम्र 40 वर्ष

आवेदक निवासी- चांटीडीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।

प्रतिवादी क्रमांक 2 गोल्डी उर्फ अख्तर खान, पिता इदुखान, द्वारा

अनावेदक क्रमांक 1 निवासी- बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(पिकअप वैन का चालक)

प्रतिवादी क्रमांक 3 बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,

अनावेदक क्रमांक 2 जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(पिकअप वैन का स्वामी)

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) सं. 1128 / 2007

आवेदक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

अनावेदक क्रमांक 3 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पंडरी, रायपुर, द्वारा मंडल प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर मंडल, राजीव प्लाजा के सामने, बस स्टैंड रोड, तहसील एवं जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रतिवादी क्रमांक 1 कमरुल निशा, पति शेख कादिर, उम्र 45 वर्ष

आवेदक निवासी- चांटीडीह, रपटा चौक, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

प्रतिवादी क्रमांक 2 गोल्डी उर्फ अख्तर खान, पिता इदुखान,

अनावेदक क्रमांक 1 निवासी- बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल, जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(पिकअप वैन का चालक)

प्रतिवादी क्रमांक 3 बालमुकुंद पटेल, पिता कोमल प्रसाद पटेल,

अनावेदक क्रमांक 2 जगदापारा नाला, मेलापारा, चांटीडीह, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर

(पिकअप वैन का स्वामी)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी.आर. सं. 127/07; सी.आर. सं. 128/07; सी.आर. सं. 129/07; मा.अ. (सिविल) सं. 1097/07; मा.अ. (सिविल) सं. 1109/07 एवं मा.अ. (सिविल) सं. 1128/07

उपस्थित :

श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से।

श्री राकेश साहू, अधिवक्ता, दावाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से।

श्री धर्मेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता, प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3/चालक एवं स्वामी की ओर से।

निर्णय

(19.01.2010)

न्यायालय निम्नलिखित निर्णय :

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा दिया गया ।

(1) ये अपील/पुनरीक्षण याचिकाएँ बीमा कंपनी द्वारा दिनांक 30.03.2007 एवं 02.04.2007 को द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो एक ही दुर्घटना से उत्पन्न छह विभिन्न दावा प्रकरणों में दिए गए थे, जिनमें बीमा कंपनी को प्रतिवादी क्रमांक 1/दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया गया है, जो कि निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	पुनरीक्षण / अपील संख्या	दावा प्रकरण संख्या	निर्णय दिनांक	प्रदत्त राशि (₹)
1.	C.R. No. 127/07	40/2006	30.7.2007	3,000/-
2.	C.R. No. 128/07	42/2006	30.7.2007	3,000/-
3.	C.R. No. 129/07	41/2006	30.7.2007	3,000/-
4.	M.A.(C)No. .1097/07	78/2006	30.7.2007	25,000/-
5.	M.A.(C)No. 1109/07	79/2006	2.4.2007	80,000/-
6.	M.A.(C)No.1128/07	39/2006	30.7.2007	25,000/-

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिवादी क्रमांक 1/दावाकर्तागण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिकाएँ प्रस्तुत कीं, जिनमें 29.03.2006 को घटित मोटर दुर्घटना में उन्हें हुई व्यक्तिगत चोटों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे पिकअप वैन क्रमांक C.G.-10-A/9651 में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, जिसे उसके चालक द्वारा उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना हुई।

दावाकर्तागण ने निवेदन किया कि उक्त दिन उन्होंने पिकअप वैन को इसलिए बुलाया था ताकि वे जुना़ रतनपुर जाकर बाबा साहब दरगाह पर चादर चढ़ा सकें, और जब वे उक्त वाहन में यात्रा कर रहे थे, तभी दुर्घटना घटित हो गई। उन्होंने विशेष रूप से यह कहा कि उनका वाहन के मालिक से परिचय था, इसलिए उक्त वाहन को बुलाया गया और उस कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चालक ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और दावेदारों के कथनों से इंकार किया। उसका कहना था कि जब वह रतनपुर से बिलासपुर लौट रहा था, कुछ लोग (महिला, पुरुष एवं बच्चे) उसके वाहन को रोकने लगे, जिसके कारण वाहन पलट गया।

वाहन स्वामी ने भी अपनी लिखित प्रति दाखिल किया और दावाकर्तागण के आरोपों से इनकार किया।

बीमा कंपनी ने भी अपनी लिखित कथन दाखिल किया । उसने यह स्वीकार किया कि आवेदक(गण) उक्त वाहन में यात्रा कर रहे थे। उसने विशेष रूप से यह तर्क दिया कि वाहन में केवल चालक और परिचालक को बैठने की अनुमति थी, इसलिए वाहन का उपयोग नीति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था, जो कि इसे यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया गया था।

माननीय दावा अधिकरण ने यह माना कि दुर्घटना की तिथि यानी 29.03.2006 को वाहन बीमित था, क्योंकि बीमा पॉलिसी 01.11.2005 से 31.10.2006 तक वैध थी। इसने यह भी माना कि चालक के पास वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। बीमा कंपनी द्वारा वाहन के उपयोग की सीमा और उसे यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने से संबंधित आपत्तियों पर विचार किए बिना, अधिकरण ने यह निर्णय दिया कि चालक, स्वामी और बीमाकर्ता तीनों सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दावाकर्तागण को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए उत्तरदायी हैं। उक्त राशि प्रत्येक मामले में दावाकर्ता को उनके व्यक्तिगत चोटों के कारण प्रदान की गई।

(3) याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता/बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा ने तर्क दिया कि यह बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। वाहन एक माल ढोने वाला वाणिज्यिक वाहन था। यह स्वयं दावाकर्तागण का स्वीकार किया हुआ मामला है कि वे उक्त मालवाहक वाहन में *निःशुल्क यात्री* के रूप में यात्रा कर रहे थे। अतः अधिकरण ने यह मानकर विधि की भूल की कि बीमा कंपनी भी क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु उत्तरदायी है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया : ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. बनाम वेदवती एवं अन्य, 2007 AIR SCW 1505 तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम रत्तनी एवं अन्य, 2009 AIR SCW 992*** ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) दूसरी ओर, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और दावा अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया ।

(5) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना ।

(6) *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. -बनाम- वेदवती एवं अन्य*, 2007 AIR SCW 1505 में, उच्चतम न्यायालय ने पैरा 13 और 14 में इस प्रकार निर्णय दिया:–

*"**13.** पुराने अधिनियम में प्रयुक्त 'गुड्स व्हीकल' और वर्तमान अधिनियम में प्रयुक्त 'गुड्स कैरिज' की भाषा में जो अंतर है, वह महत्वपूर्ण है। प्रावधानों का साधारण पठन यह स्पष्ट करता है कि विधायिका का अभिप्राय यह था कि मालवाहक वाहन में किसी भी यात्री को ले जाना निषिद्ध किया जाए। यह बात पुराने अधिनियम में 'गुड्स व्हीकल' की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द 'इन एडिशन टू पैसेंजर्स' से स्पष्ट होती है। स्थिति और अधिक स्पष्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि अब प्रयुक्त शब्द 'गुड्स कैरिज' केवल माल ढोने के लिए है। अधिनियम में मालवाहक वाहन में यात्रियों को ले जाने की परिकल्पना नहीं की गई है। पुराने अधिनियम की धारा 95 के प्रावधान में संलग्न उपधारा (ii) जैसा कोई प्रावधान वर्तमान अधिनियम में नहीं है जो बीमा पॉलिसी की अनिवार्यता निर्धारित करे। यहाँ तक कि अधिनियम की धारा 147 केवल 'सार्वजनिक सेवा वाहन' में यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति के विरुद्ध*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनिवार्य बीमा कवरेज का प्रावधान करती है। उपबंध और अधिक स्पष्ट करता है कि सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक और परिचालक तथा मालवाहक वाहन में ले जाए गए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा कवरेज केवल कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'डब्ल्यूसी अधिनियम') तक सीमित रहेगा। 'गुड्स कैरिज' में किसी भी यात्री का उल्लेख नहीं है।"

*"**14.** अतः अनिवार्य निष्कर्ष यह है कि, अधिनियम के प्रावधान वाहन के स्वामी पर यह वैधानिक*

दायित्व नहीं डालते कि वह अपने मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री के लिए बीमा कराए और इस स्थिति में बीमा कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा।"

(7) ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम रत्तनी एवं अन्य, 2009 AIR SCW 992*** में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब बारात के सदस्य मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे थे, तब बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

अतः यह स्थापित विधिक स्थिति है कि यदि यात्री मालवाहक वाहन में यात्रा कर रहे थे और दुर्घटना घटित हुई, तो बीमा कंपनी उन यात्रियों को (या मृत्यु की स्थिति में उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों को) क्षतिपूर्ति देने हेतु क्षायी नहीं होगी।

(8) वर्तमान मामले में, बीमा पॉलिसी को दावा प्रकरण सं. 42/2006 में प्रदर्श-डी/1 के रूप में सिद्ध किया गया है। पॉलिसी की सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि वाहन एक "माल ढोने वाला वाणिज्यिक वाहन (खुला)" था तथा स्वयं के नुकसान (OD) के लिए ₹3,109/- का प्रीमियम तथा तृतीय पक्षकार देयता के लिए ₹900/- का प्रीमियम अदा किया गया था। इसके अतिरिक्त, मालिक सह चालक के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (PA) हेतु ₹100/- का प्रीमियम तथा कर्मचारी हेतु कर्मकार प्रतिकर अधिनियम (WC Act) के अंतर्गत ₹2/- का प्रीमियम भी अदा किया गया था। अतः, अधिकरण ने इस पहलू पर विचार न करके विधि की त्रुटि की है। अधिकरण को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह एक माल ढोने वाला वाणिज्यिक वाहन था और उसमें यात्रियों को बैठाना पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिए, बीमा कंपनी उन यात्रियों को, जो उस वाहन में यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, मुआवज़ा देने के लिए दायी नहीं थी।

(9) जहाँ तक पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को साबित करने के भार का प्रश्न है, यह निर्विवाद रूप से बीमा कंपनी पर ही होता है। *रत्तनी प्रकरण (पूर्वोक्त)* में यह अवधारित किया गया कि किसी पक्ष ने साबित करने का भार पूरा किया है या नहीं, यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पर निर्भर करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि तथ्य स्वीकार किए गए हों या अन्यथा पर्याप्त सामग्री अभिलेख में लाई गई हो जिससे न्यायालय किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सके, तो यह कहना व्यर्थ है कि जिस पक्ष पर साबित करने का भार है, उसे अभी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि मृतक एवं घायल यात्री *निःशुल्क यात्री* थे। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि *प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)* को इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए लिया जाए या नहीं, पृथक तथ्य, किंतु जब स्वयं एफ.आई.आर. को दावा याचिका का भाग बना दिया गया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि इसे उक्त उद्देश्य के लिए देखा जा सकता है।

(10) वर्तमान मामले में दावाकर्ता ने स्वयं यह निवेदन किया है कि वे उक्त वाहन में जुना़ रतनपुर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। इस तथ्य को बीमा कंपनी ने अपने लिखित कथनों में स्वीकार किया। यह तथ्य *दावा प्रकरण क्रमांक 40/2006* के अभिलेख में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट. की प्रति में भी दर्ज है। यद्यपि वाहन चालक ने अपने लिखित कथन में यह प्रतिवाद किया कि दावाकर्ता पैदल चलने वाले (तृतीय पक्ष) थे, परंतु उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ तक कि चालक स्वयं भी अधिकरण के समक्ष अपना साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। अतः यह अभिलेख पर सिद्ध हुआ कि मालवाहक वाहन का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने हेतु दायी नहीं होगी।

(11) उपर्युक्त कारणों से, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील/पुनरीक्षण याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। बीमा कंपनी के विरुद्ध पारित आक्षेपित अधिनिर्णय अपास्त किए जाते हैं। बीमा कंपनी को दावाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्षतिपूर्ति के भुगतान के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। वाहन का स्वामी और चालक संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से दावाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 को क्षतिपूर्ति देने हेतु दायी होंगे।

(12) अपील/पुनरीक्षण याचिकाएँ उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।

(13) व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Adv. Abhishek Kumar Rai.